

उत्तराखण्ड शासन,
आवास विभाग,

संख्या- 438 / V / आ0 / V-2009-46(आ0) / 2007
देहरादून :: दिनांक: 26 फरवरी, 2009

"अधिसूचना"

चूँकि राज्य सरकार की राय में टिहरी झील परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय विकास की भावी प्रबल सम्भावनाओं एवं क्षेत्र में अनियंत्रित विकास व निर्माण गतिविधियों को नियोजित करने की दृष्टि से वर्तमान विनियमित क्षेत्र सीमा एवं इससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये इस वृहत झील परिक्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्र का सुनियोजित रूप से विकास आवश्यक है।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम (अधिनियम संख्या-1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को टिहरी झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र घोषित करते हैं।

टिहरी झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और नौ सेना, स्थल सेना और वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गयी भूमि को छोड़कर :-

- 1- टिहरी नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र
- 2- चम्बा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र
- 3- निम्नलिखित राजस्व ग्रामों की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्र :-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	जनपद/ तहसील का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम	जनपद/ तहसील का नाम
1.	बौराड़ी	टिहरी- टिहरी तहसील	31.	डोभाल गांव	टिहरी- टिहरी तहसील
2.	मोलधार	"	32.	उनियाल गांव	"
3.	कुलणा	"	33.	गुल्डी	"
4.	कुठठा	"	34.	मठियाण गांव	"
5.	कोण्डचौकल्या	"	35.	हडम मल्ला	"
6.	पिपली	"	36.	जखौत	"
7.	चवल खेत	"	37.	छोटा स्यूटा	"
8.	डिबनू	"	38.	मंज्यूड	"
9.	कोण्ड	"	39.	दिखौलगांव	"
10.	बागी सरज्यूला	"	40.	मादूरी	"
11.	कठिया गांव	"	41.	केमसारी	"
12.	टोडी	"	42.	पैनुला तल्ला	"
13.	शुल्कपुर	"	43.	पैनुला निचला	"
14.	च्चादन्त	"	44.	पैनुला मल्ला	"
15.	इण्डिया	"	45.	दिखौल गांव	"
16.	भैतोगी सेरा	"	46.	सौंद कोटी	"
17.	बालसी	"	47.	ढरसाल गांव	"
18.	पंचकोट	"	48.	जंगलात पूर्व	"
19.	थानसारी थापला	"	49.	जंगलात पश्चिम	"
20.	खाण्ड	"	50.	आराकोट	"
21.	कोठी	"	51.	हडम तल्ला	"
22.	गाजणा	"	52.	राम गांव	"
23.	जाख	"	53.	तिवाड़ गांव	"
24.	गोदमू	"	54.	मरौड़ा	"
25.	जसपुर	"	55.	पलास	"
26.	चौपड़ी	"	56.	डोबरा	"
27.	छमुण्ड	"	57.	सौड़ उप्पू	"
28.	नैल मल्ला	"	58.	सिल्ला उप्पू	"
29.	पाली	"	59.	तल्ला उप्पू	"
30.	गाजणा	"	60.	जाख लगाज्यूदासू	"

61.	भल्दियाना	टिहरी- टिहरी तहसील	91.	बिल्यासौड़	टिहरी- प्रतापनगर
62.	डांग	"	92.	बड़कोट	"
63.	वेल गांव	"	93.	देवल	"
64.	अलेरू	"	94.	कंगसाली	"
65.	कलेथ	"	95.	गडोली	"
66.	औलनी उप्पू	"	96.	रौला कोट	"
67.	मल्ला उप्पू	"	97.	चौंठी	"
68.	इन्दर	"	98.	नकोट	"
69.	हड़गी	"	99.	ओखला	"
70.	सुनार गांव लगा इन्दर	"	100.	ग्वाड़	"
71.	डाबरी	"	101.	मोटणा	"
72.	मसेथ	"	102.	चौंधार	"
73.	जौलंगी	"	103.	तिमली खाल	"
74.	जुगड़ गांव	"	104.	जणगी	"
75.	धारकोट	"	105.	भैंगा	"
76.	डडुर	"	106.	सान्दणा	"
77.	नकोट	"	107.	उटड़	"
78.	ओझा नौताड़	"	108.	पिपोला खास	"
79.	चोपड़ा	"	109.	मठकण्डा	"
80.	मंजोली	"	110.	नन्द गांव	"
81.	स्यांसू/ मयाली	"	111.	छोल गांव	"
82.	रतवाड़ी	"	112.	खाण्ड धारमण्डल	"
83.	कण्डी	"	113.	नार गढ	"
84.	धरवाल गांव	"	114.	कैलबागी	"
85.	जसपुर मय चक	"	115.	बर्थाखुण्ड	"
86.	रमोल गांव	"	116.	चक गडोलिया	"
87.	खाडं बिडकोट	"	117.	असेना	"
88.	बण्ठी सेरा	"	118.	ननवा	"
89.	सरौठ	"	119.	सारफल	"
90.	डोभन	"	120.	म्यूड़ी	"

121.	घोन्टी डुंगमन्दार	टिहरी- प्रतापनगर	141.	भल्डगांव	उत्तरकाशी- डुण्डा तहसील
122.	पडागली	"	142.	हडयाड़ी	"
123.	गौजियाणा	"	143.	सुनार गांव	"
124.	पिलखी	"	144.	तुलयाडा	"
125.	पिपोला डुंगमन्दार	"	145.	गैलाड़ी	"
126.	चाकरू सेरा	"	146.	चिन्धाली सौड़	"
127.	वौर	"	147.	नागनी छोटी	"
128.	मठियाली	"	148.	हिटारा	"
129.	रखाड़ी	"	149.	नागनी बड़ी	"
130.	बसेली	"	150.	बडेथी	"
131.	झिवांली	"	151.	नेरी	"
132.	विसातली	"	152.	धरासू	"
133.	खोला	"	153.	धनपुर	"
134.	भौनियाड़ा	"	*	झील/ जलाशय क्षेत्र	-
135.	जोगियाणा	उत्तरकाशी- डुण्डा तहसील	*	वन क्षेत्र	-
136.	बड़ी मणी	"			
137.	छोटी मणी	"			
138.	बल्डोगी	"			
139.	कुमराडा	"			
140.	बन्धाण गांव	"			

नोट :- प्रस्तावित प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल होने वाले ऐसे ग्रामों के भूमिधरों को, जो पूर्व में किसी विनियमित क्षेत्र (Regulated area) में शामिल नहीं थे, अपने आवास के निर्माण के लिए प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

शत्रुघ्न सिंह
सचिव।